फर्द अहकाम

कजोड़ गौड़ बनाम कल्याण व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 22/2022 (टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/4/24	आज दिनांक 24/04/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कम्बोतेस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 01/05/24 को पेश हों।
	01/05/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा.पत्र टी.आई. पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 13/5/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	13/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रा.पत्र टी.आई. के तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र टी.आई. में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि वाद/प्रा०पत्र टी.आई. अधीन उल्लेखित भूमि आ.ख.नं. 622 रकबा 0.60 है., आ.ख.नं. 623 रकबा 0.84 है. हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज अंकित है। जिसके गत खसरा नं. 232 रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा है। हाल भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान, प्रार्थीगण के उक्त गत खसरा नं. (232) से नवीन खसरा कायम करते हुए

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

फर्द अहकाम

कजोड़ व अन्य बनाम कल्याण व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 22/2022 (टी.आई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13/5/24	प्रार्थीगण के उक्त गत खसरा नम्बर से (परिवर्तित) नवीन खसरा कायम कर हाल जमाबंदी में अंकित तो सही दर्ज कर दिया गया, परन्तु हाल नवीन नक्शा ट्रेस गत नक्शा ट्रेस अनुसार तैयार/कायम नहीं कर अप्रार्थीगण सं. 01 ता 07 की खातेदारी के खसरा नं. 621 रकबा 0.16 है. एवं अप्रार्थीगण सं. 08 ता 17 की खातेदारी के खसरा नं. 638 का पश्चिमी हिस्सा प्रार्थीगण की नक्शा ट्रेस से परिवर्तित (कम) कर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के नक्शा ट्रेस में बढ़ा कर मिला दिया गया। जिससे प्रार्थीगण की भूमि का नक्शा ट्रेस परिवर्तित कर पूर्व से घटा कर कम कर दिया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि गत खसरा नं. 232 का रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा है तथा इसी अनुसार प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वज काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते आ रहे थे। जिसके पश्चात प्रार्थीगण निरन्तर भूमि पर काबिज होकर (पूर्ववर्ती नक्शे अनुसार) उपयोग-उपभोग करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त मिल्कियत कब्जा काश्तशुदा भूमि में प्रार्थीगण का बोरिंग भी स्थित है। जिससे प्रार्थीगण अपनी अन्य भूमियों के साथ ही समस्त भूमि में सिंचाई का कार्य करते हैं/करते आ रहे हैं। हाल नक्शे में प्रार्थीगण की पूर्व से ही कब्जा काश्तशुदा खातेदारी की भूमि के उक्त हिस्से को अप्रार्थीगण की भूमि में [illegible] कर दिया गया है। ([illegible] स्थित है) जिससे प्रार्थीगण [illegible] हाल जमाबंदी रकबा	

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:04:04 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

कजोड़ व अन्य बनाम कल्याण व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 22/2022 (टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/5/24	अनुसार कम होकर अप्रार्थीगण को हाल भूमि के खसरा नम्बर से अधिक अंकित कर दिया गया है जबकि भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जिसके बाबत इन्तखाब ईंडाज एवं नक्शा ट्रेस इन्तखाब हेतु वाद न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो साक्ष्य (वादी/प्रार्थी) की प्रक्रिया में विचाराधीन है जिससे अप्रार्थीगण को वाद निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया जाना वाद बहुलता व न्यायहित के दृष्टिगत भी आवश्यक व न्यायोचित एवं प्रार्थनीय है जिस हेतु यदि अप्रार्थीगण को वाद निर्णय तक मौके की यथास्थिति कायम/यथावत रखे जाने हेतु पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अतुलनीय/अपूरणीय क्षति कारित होगी। जिसकी क्षति पूर्ति संभव नहीं होगी। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वाद के अन्तिम निर्णय तक वादग्रस्त मशमूला खसरा नं. 621 व खसरा नं. 638 की पश्चिमी सीमा की मौके की यथास्थिति यथावत बनाए रखने/कायम रखने तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करने बाबत पाबन्द फरमाया जावे। अप्रार्थीगण 01 ता 07 की ओर से प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत कर स्थगन प्रार्थनापत्र टी.आई. में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए अभिकथन/ अप्रार्थीगण 01 ता 07 द्वारा अपने जवाब में कथन किया	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

फर्द अहकाम

कजोड़ व अन्य बनाम कल्याण व अन्य

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

22/2022 (टी.आई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13/5/24	गया है कि अप्रार्थीगण 01 ता 07 की खातेदारी भूमि ख.नं. 621 व अन्य के साबिक खसरा नं. 234 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा थे। जो अप्रार्थीगण 01 ता 07 के पूर्वज गंगाराम पुत्र पेमाराम के नाम दर्ज अंकित था। जिसके दौराने बंदोबस्त हाल खसरा नं. 621, 327, 614, व 619 कुल रकबा किता 4 कुल रकबा 2.01 हे. कायम किए गए। जिन पर अप्रार्थीगण 01 ता 07 के पूर्वज गंगाराम पुत्र पेमाराम की मृत्यु के उपरान्त से ही विरासतन हकों के अन्तर्गत निरन्तर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं इस प्रकार अप्रार्थीगण की खातेदारी का खसरा नं. 621 रकबा 0.16 हे. किसी प्रकार से विवादित नहीं है अपितु अप्रार्थीगण उक्त खसरा/रकबा पर पूर्वजों के काल से ही निरन्तर कब्जा/अधिकार काबिज काश्त है जो कि अप्रार्थीगण (01 ता 07) के पूर्वजों की खातेदारी के खसरा नं. 234 से बना है तथा गत खसरा नं. 234 का ही भाग है तथा अप्रार्थीगण की भूमि का हाल नक्शा साबिक खसरा नं. 234 के नक्शे अनुसार ही तैयार/कायम किया गया है जिसमें किसी की बढोतरी साबिक नक्शा अनुसार नहीं की गई है अपितु अप्रार्थीगण की भूमि (ख.नं. 621 व अन्य) का रकबा साबिक नक्शा व रकबा अनुसार ही सही रूप से कायम किया गया है जिसमें अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं तथा ख.नं. 621 में जो [illegible] स्थित है वह अप्रार्थी[illegible]07) का है। जिसका [illegible] अप्रार्थीगण के पूर्वजों के काल से [illegible] निरन्तर भुगतान	

मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:04:04 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

कजोड़ व अन्य बनाम कल्याण व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 22/2022 (टी-आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13/5/24	अप्रार्थीगण द्वारा ही किया जाता रहा है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों पर वाद प्रस्तुत कर एकतरफा अस्थाई स्थगन प्राप्त कर लिया गया है। जो निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र टी.आई. खारिज फरमाया जावे। हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का तथा पूर्व अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 26.04.22 व उक्तानुक्रम में पारित आदेश दिनांक 06.06.22 का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के प्रस्तुत तथ्यों व पूर्व आदेशों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण रकबा कमी पेशी अथवा खातेदारी के संदर्भ में किसी प्रकार की आपत्ति से सम्बन्धित नहीं होकर नक्शे के रकबे/राजस्व रिकार्ड में अंकित खसरा रकबा अनुसार रकबा बराबरी से सम्बन्धित मांग है जो उभयपक्षकारान के खातेदारी अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है। उभयपक्षकारान के अभिकथनों से यह स्पष्ट/निर्विवाद है कि हाल राजस्व रिकार्ड में उभयपक्षकारान की भूमि का रकबा तो भूमि के वास्तविक खसरा अनुसार दर्ज कर दिया गया है, परन्तु मात्र राजस्व नक्शे में आंशिक परिवर्तन, कमी-बेशी कर दी गई है जो विवाद का विषय है। जिस हेतु प्रार्थीगण की ओर से मूलवाद प्रस्तुत किया गया है। जो कि हाल स्थिति अनुसार वादी साक्ष्य की प्रक्रिया में लम्बित है। उभयपक्षकारान के अभिकथनों से यह भी निर्विवाद है कि भूमि पर

P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

कजोड़ व अन्य बनाम कल्याण व अन्य

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

22/2022 (टी.आई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13/5/24	पक्षकारान पूर्व से ही निहित रकबा अनुसार निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं। जिससे भूमि के वास्तविक उपयोग-उपभोग का भी कोई विवाद नहीं है। विवाद मात्र रिकॉर्ड में अंकित नक्शे के संदर्भ में है ना कि मौके पर भौतिक स्थिति के संदर्भ में है। ऐसी स्थिति में मूलवाद का निस्तारण उभयपक्षकारान के प्रस्तुत साक्ष्यों के अधीन उभयपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुनकर किया जाना न्यायोचित समझते हैं। जिस हेतु मूलवाद के निस्तारण तक भूमि/विशिष्ट भू भाग को संरक्षित रखा जाना न्यायोचित समझते हैं चूँकि स्वयं पक्षकारान के अभिकथनों अनुसार पक्षकारान का भूमि पर पूर्व से ही काबिज होकर निरन्तर काश्त करना प्रदर्शित है। जिससे वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति कायम रखे जाने से (जिस के संदर्भ में अंतरिम स्थगन आदेश प्रभावी भी है) पक्षकारान के उपयोग-उपभोग सम्बन्धी अधिकार भी प्रभावित नहीं होना प्रतीत होते हैं। अतः वाद बहुलता व न्यायहित के दृष्टिगत न्यायालय द्वारा के पूर्व अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 26.04.22 व आदेश दिनांक 06.06.22 को ताफैसला मूलवाद स्थाई किया जाता है। जिसके अनुसार उभयपक्षकारान वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 621, 638 वाके ग्राम पीलवा तह. आमेर जिला जयपुर की भूमि की यथास्थिति कायम रखेंगे तथा आदेश दिनांक 06.06.22 अनुसार प्रचलित कब्जाधारी काश्तकार फसल सिंचाई हेतु अनुमत होगा। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली पेशी शुमार होकर दर्जनम्बर [illegible] दाखिल दफ्तर हो	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:04:04 IST
Reason: SelfAttested